सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 04, शुक्रवार, *शाके 1946*-जुलाई 26, *2024*	
Sravana 04, Friday, Saka 1946- July 26, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 22, 2024

संख्या एफ 2(8)2024/09151/कार्मिक/प्रमुवसं/8238291 :-राजस्थान नागरिक सेवायें (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के अनुसरण में समस्त संबंधित ग्राहय क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा 2024 दिनांक 06-01-2025 से 10-01-2025 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी :-

क्रम संख्या	परीक्षा दिनांक	समय	प्रश्न पत्र
1	06.01.2025	प्रात: 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	वन नियम (प्रथम प्रश्न पत्र)
2	07.01.2025	प्रात: 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	भू राजस्व प्रणाली (द्वितीय प्रश्न पत्र)
3	08.01.2025	प्रात: 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	विधि एवं लेखा (तृतीय प्रश्न पत्र)
4	09.01.2025	प्रात: 10.00 बजे सेदोपहर 12.30 बजे तक	हिन्दी (चतुर्थ प्रश्न पत्र)
5	09.01.2025	मध्यान्ह 12.45 बजे से 1.15 बजे तक	हिन्दी श्रुतिलेख (चतुर्थ प्रश्न पत्र)
6	10.01.2025	प्रात: 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	वन उपज की उपयोगिता (विशिष्ठ तथा राजस्थान राज्य से संबंधित) (पांचवा प्रश्न पत्र)

सामाजिक सर्वेक्षण के छठे प्रश्न पत्र के लिए निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षणसंस्थान, राजस्थान,जयपुर द्वारा पृथक से व्यवस्था की जावेगी। विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम/ द्वितीय श्रेणी के आवेदन पत्र उनके नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर (अधीक्षक क्षेत्रीय की विभागीय परीक्षा) के पास दिनांक 15.12.2024 तक आवश्यक रूप से पहुॅच जाने चाहिये।

क्षेत्रीय वन अधिकारियों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे अपने आवेदन पत्र में अपना मू पदस्थापन अस्थाई नियुक्ति के पदों का उल्लेख तिथि सहित प्रस्तुत करें। उनके द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण किये गये प्रश्न पत्रों व जिस प्रश्न पत्र में नियमानुसार छूट चाहते है, उनका भी उल्लेख करें, ताकि राजस्थान नागरिक सेवाऐं (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के नियम 8 के अनुसार पात्रता की जांच करने में सुविधा रहे।

शिखा मेहरा,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयुपर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।